

पत्रांक-3/एम-162/2005 का०-6956

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 21. 10. 2008

विषय :- विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सुपुर्द करने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र/अनुदेशों तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 9143 दिनांक 21वीं जुलाई, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) के अंतर्गत यह अनुरोध किया गया था कि विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार,

पटना को जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वैसी ही विभागीय कार्यवाही विभागीय जाँच आयुक्त को सुपुर्द की जाय जो गंभीर कदाचार, बेईमानी आदि से संबंधित है, और यह सुनिश्चित किया जाय कि विभागीय जाँच आयुक्त को कार्यवाही भेजने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति भी प्राप्त कर ली गयी है। उक्त परिपत्र में एक जाँच-पत्र भी विहित किया गया था, ताकि विभागीय कार्यवाही विभागीय जाँच आयुक्त को सौंपे जाने के पूर्व अनुदेशों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित कर लिया जा सके।

2. परन्तु, ऐसा पाया गया है कि विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सौंपे जाने के जिन प्रस्तावों में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त रहता है जैसे मामले भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति के लिए भेजे जाते हैं और विभागीय कार्यवाही विभागीय जाँच आयुक्त को सौंपे जाने के पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निरूपित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। इसके फलस्वरूप प्रक्रिया का उल्लंघन होने के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में भी अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

3. अतः अनुरोध है कि-

- (1) विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार पटना को जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वैसी ही विभागीय कार्यवाही विभागीय जाँच आयुक्त को सुपुर्द की जाय जो गंभीर कदाचार, बेईमानी, गबन आदि से संबंधित है। अन्य आरोपों के संबंध में विभाग/कार्यालय के अधीन पदस्थापित पदाधिकारियों से जाँच करायी जा सकती है या अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानानुसार स्वयं भी जाँच कर सकते हैं।
- (2) विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही भेजने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त कर ली जाय। परन्तु, जिन मामलों में विभागीय जाँच आयुक्त को जाँच सुपुर्द किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो या विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो उन मामलों में मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- (3) विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही की सुपुर्दगी संबंधी संकल्प के साथ विहित जाँच-पत्र में वांछित सूचना भरकर सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ भेजा जाना अपेक्षित होगा, ताकि विभागीय जाँच आयुक्त आश्वस्त हो सकें कि जाँच के लिए अपेक्षित प्रक्रियागत कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्पन्न कर ली गयी है (जाँच पत्र का प्रपत्र संलग्न है)।

4. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। पूर्व का उपर्युक्त परिपत्र संख्या-9143 दिनांक 21.07.86 अवक्रमित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

जॉच-पत्र

1. क्या आरोप पत्र, विहित प्रपत्र में एवं सही ढंग से तैयार किया गया है तथा प्रत्येक आरोप सुस्पष्ट है ? क्या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के उपनियम (3) का अनुपालन किया गया है ?
2. क्या उक्त नियमावली के नियम-17 के उपनियम (4) की अपेक्षाओं के अनुसार आरोपित पदाधिकारी को आरोप-पत्र की एक प्रति, लांछनों के अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूची आदि उपलब्ध करा दी गयी है ?
3. क्या उक्त नियमावली के नियम-17 के उपनियम (4) के अनुसार बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त कर लिया गया है ?
4. क्या बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है, और समीक्षोपरांत निष्कर्ष निकाला गया है ?
5. क्या उक्त नियमावली के नियम-17 के उपनियम (6) के अनुसार वांछित कागजात संकल्प के साथ मूलरूप में संलग्न किये गये हैं ?
6. क्या विभागीय कार्यवाही चलाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रासंगिक नियम का संदर्भ संकल्प में किया गया है ?
7. क्या विभागीय जॉच आयुक्त से जॉच कराने के प्रस्ताव में मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त है और संकल्प में इस आशय का उल्लेख किया गया है ?
8. क्या संकल्प पर हस्ताक्षरकर्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व उपर्युक्त अपेक्षाओं की जॉच करा ली है और वे सन्तुष्ट हैं ?

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर